न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :— श्री लाखाराम, आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :— 03/2022

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
1. कमुड़ी पत्नी वईया खान उम्र 62 वर्ष, जाति मूसलमान, निवासी भलीसर, तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर।		1. सरपंच ग्राम पंचायत भीलीसर 2. सुजामोहम्मद पुत्र फेजमोहम्मद, उम्र 46वर्ष, जाति मूसलमान, निवासी भलीसर, तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर। 3. वडलशाह पुत्र हसनशाह उम्र 26वर्ष, जाति मूलसमान निवासी भलीसर, तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर। 4. तहसीलदार, धोरीमना।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 विरुद्ध नामांतरण संख्या 870 दिनांक (बिना स्वीकृति व बिना तारीख) जो उत्तरदाता संख्या 1 ग्राम पंचायत भलीसर द्वारा पारित किया गया।

तारीख रजू:— 22/01/2022

अधिवक्ता:—

1. **श्री हापूराम, अधिवक्ता अपीलांट**

—::निर्णय::—

दिनांक:— 08/08/23

अपीलांट की ओर से अधिवक्ता द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उतरदाता संख्या 1 ग्राम पंचायत भलीसर द्वारा अपीलाधीन नामांतरण पारित करने में भारी कानूनी व तथ्यों की भूल की है। उतरदाता संख्या 2 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 387 क्षेत्रफल 3.1889 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की आई हुई थी जिसमें उत्तरदाता संख्या 02 का 1/15 हिस्सा बंट में आता था उपरोक्त आराजी उत्तरदाता संख्या 02 द्वारा अपीलांट को संपूर्ण 1/15 हिस्सा बैचान जरिए पंजीबद्ध बैचाननामा उप पंजीयक धोरीमना में दिनांक 03.09.2019 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 41 में पृष्ठ संख्या 144 कम संख्या 201903110101128 पर पंजीबद्ध किया गया तथा पंजीबद्ध बैचाननामें के अनुसार बताई [illegible] अपीलांट को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया तत्पश्चात अपील[illegible]री को पेश कर अपने पक्ष में नामांतरकरण पारित करने का निवेदन किया तो हल्का पटवारी ने [illegible]कि उपरोक्त आराजी में कोई राजस्व स्टे है उक्त स[illegible]टते ही उक्त बैचाननामे [illegible]ार नामांतरकरण भर कर ग्राम पंचायत में पेश कर स्वीकृत करवाकर प्रति देने का आश्वासन दिया जिस पर अपीलांट अपने नाम से नामांतरकरण पारित होने का इंतजार करता रहा

08/08/23

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:28 IST
Reason: SelfAttested

तथा कई बार हल्का पटवारी से निवेदन किया। उक्त आराजी में 1/15 हिस्सा यानि 1—06 बीघा भूमि अपीलांट की है तत्पश्चात उत्तरदाता संख्या 02 की माता का देहान्त होने से माता का हिस्सा चारों भाइयों के पक्ष में समाहित होने से उत्तरदाता संख्या 02 का हिस्सा 1/15 से 1/12 हिस्सा हो गया जिसमें उत्तरदाता संख्या 01 को अपीलांट की भूमि 1/15 हिस्से को छोड़कर शेष 1/60 हिस्सा ही बैचान करने योग्य था तथा उक्त आराजी को उत्तरदाता संख्या 02 को संपूर्ण हिस्सा बैचान करने का कोई अधिकार नहीं है परंतु उत्तरदाता संख्या 02 ने उत्तरदाता संख्या 03 से मिलकर धोखाधड़ी पूर्वक दिनांक 02.09.2022 को अपीलांट की 01—06 बीघा भूमि को हड़पने की नियत से तहसीलदार के समक्ष पेश कर एक पंजीबद्ध बैचाननामा निष्पादित किया जिसे यह जानते हुए कि उक्त भूमि का 1/15 हिस्सा बैचान किया जा चुका है उक्त फर्जी व मिथ्या पंजीयन क्रमांक 202203110101326 का हल्का पटवारी को पेश किया जबकि हल्का पटवारी के समक्ष उक्त भूमि का अपीलांट द्वारा वर्ष 2019 का बैचानानाम पेश कर रखा था इसके बावजूद हल्का पटवारी ने गलत तरीके से कपटपूर्ण विलेख के आधार पर उक्त उतरदाता संख्या 02 के संपूर्ण हिस्से का आलोच्य नामांतरकरण दिनांक 11.10.2022 को भरा गया जिसे भू निरीक्षक द्वारा जांच किया गया परंतु उक्त आलोच्य आदेश को उत्तरदाता संख्या 01 ने कभी भी स्वीकृत नहीं किया केवल मोहर लगाकर हस्ताक्षर किया गया जो यह साबित करता है कि उक्त नामंतरकरण संख्या 870 कभी भी ग्राम पंचायत की आम सभा में पेश नहीं हुआ है न ही ग्राम पंचायत के किसी प्रस्ताव में इंद्राज है न ही उत्तरदाता संख्या 01 ने इसे स्वीकृत या अस्वीकृत किया है इसीलिए इस नामांतरकरण को जिसमें सरपंच द्वारा कोई दिनांक अंकित नहीं है यह नहीं माना जा सकता कि उक्त नामांतरकरण स्वीकार हुआ है ऐसे दस्तावेज के आधार पर खातेदारी परिवर्तित नहीं की जा सकती इसीलिए आलोच्य नामांतरकरण अपास्त योग्य है। अपीलांट द्वारा उक्त आलौच्य आदेश के विरुद्ध अपील के निम्न आधार है :—अ. अपीलांट द्वारा उक्त विवादग्रस्त आराजी वर्ष 2019 में उप पंजीयक धोरीमना के समक्ष पंजीबद्ध बैचाननामा निष्पादित करवाया परंतु उत्तरदाता संख्या 03 के पक्ष में निष्पादित बैचाननामा पश्चातवृति होने से अवैध व अनुचित होने से उसके आधार पर पारित नामांतरकरण अपास्त योग्य है। ब. पश्चातवृति बैचाननामा में पूर्व में बेचान की गई भूमि को धोखाधड़ी षड्यंत्र से मिथ्या दस्तावेज जिसमें जानबूझ कर अपीलांट को नुकसान पहुंचाने हेतु बैचान शुरू से ही शून्य होने से आलोच्य आदेश त्रुटिपूर्ण होने से नामांतरकरण निरस्त योग्य है। स. आलोच्य नामांतरकरण संख्या 870 में भारी अनियमितता तथा मिथ्या दस्तावेज के आधार पर प्रस्तुत होने पर हल्का पटवारी द्वारा बिना जांच भरना अनुचित व अवैध होने से उसके बाद आर. आई. द्वारा आंख मूंदकर जांच में सही बताना विधि विरुद्ध होने से तकनीकी रूप से प्रथम दृष्टया निष्प्रभावी व शून्य है। द. उत्तरदाता संख्या 01 द्वारा आलौच्य आदेश नहीं होने से तथा बिना तारीख केवल हस्ताक्षर के आधार पर उक्त नामांतरकरण को स्वीकृत नहीं माना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:28 IST
Reason: SelfAttested

जा सकता तथा पूर्व के बेचान के बिना जांच किए हल्का पटवारी द्वारा षडयंत्र व धोखाधड़ी से भरे गए म्यूटेशन को हूबहू आर.आई. द्वारा सही मानना अवैधानिक होने से अपीलांट के हकों के प्रति नल एवं वौईड होने से इसके पश्चात् उक्त आराजी के संबंध में की गई परिविष्टियां शून्य होने से निरस्त होने योग्य है। य. अपीलांट द्वारा उक्त उपरोक्त आराजी बैचाणनामा अपने पक्ष में निष्पादित करवाने के बाद उत्तरदाता संख्या 02 को उक्त आराजी में संपूर्ण आराजी बैचने का कोई अधिकार नहीं था तथा उक्त आराजी पुनः दुबारा बैचाननामा पेश करने पर उप पंजीयक को स्वीकृत नहीं करना था इस प्रकार उक्त स्वीकृति धोखाधड़ी व तथ्य छुपाकर की गई होने से शुरू से ही शून्य दस्तावेज था जिसके आधार पर हल्का पटवारी द्वारा सरपंच को धोखे में रखकर पहले से लगाई गई मोहर पर हस्ताक्षर करवा लिया क्योंकि यदि आम सभा में पेश होता तो उसके ऊपर स्पष्ट आदेश होता की उक्त बैचाननामा व नामांतरकरण पंचायत ग्राम सभी में पेश हुआ जो प्रस्ताव संख्या द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है का इंद्राज होता तथा उस पर दिनांक अंकित होती इस प्रकार धोखाधड़ी पूर्वक निष्पादित नामांतरकरण द्वारा भूमि के मालिकाना हक को बदला नहीं जा सकता। इसलिए जमाबंदी में उत्तरदाता संख्या 02 का नाम हटाया जाना अवैध है। इस प्रकार उपरोक्त आधारों से आलौच्य आदेश निरस्त योग्य है।

अपीलांट की कब्जा काश्त की भूमि में कुछ दिन पहले कुछ भू—माफियाओं द्वारा दखलअंदाजी कर अपीलांट को बैदखल करने पर उतारू हुए तथा अपीलांट को धमकी दी कि आपको बैची हुई भूमि को किसी ओर न खरीद लिया है तब अपीलांट को अपना हक हकुक खतरे में लगने पर हल्का पटवारी से आराजी की नक्ल मांगी जिसमें नाम दूसरे का होने पर तब अपीलांट द्वारा उक्त विवादग्रस्त नामांतरकरण की नकलें मांगी जो दिनांक 15.11.2022 को नकलें प्राप्त हुई तब आलौच्य आदेश की जानकारी होने से जानकारी की तिथि से अन्दर म्याद अपील पेश की जा रही है। क्योंकि उक्त आलौच्य नामांतरकरण किस तारीख को स्वीकार हुआ उसका इंद्राज नहीं होने से इस कपटपूर्वक विलेख पर म्याद लागू नहीं होती फिर भी विकल्प के रूप में धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र विलम्ब शमन हेतु पेश है। विवादग्रस्त भूमि में ग्राम पंचायत भलीसर में स्थित होने व नामांतरकरण ग्राम पंचायत द्वारा पारित होने के कारण सरपंच ग्राम पंचायत भलीसर को पक्षकार बनाया गया है साथ ही बैचाननामा तहसीलदार धोरीमना एवं उप पंजीयक धोरीमना द्वारा निष्पादित होने से उत्तरदाता पक्षकार बनाया गया है तथा ग्राम पंचायत का नामांतरकरण पर ह[illegible] से श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में आता है। अपील पर निर्धारित न्याय शुल्क [illegible] का मुद्रांक पेश है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील को स्वीकार कर उत्तरदाता संख्या 1 ग्राम पंचायत भलीसर द्वारा पारित म्यूटेशन संख्या 870 दिनांक का है को निरस्त किए जाने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमना जिला-बाड़मेर

08/08/23
उपखण्ड अधिकारी धोरीमना (बाड़मेर)

आदेश फरमाते हुए उक्त नामांतरकरण को पुनः पारित करते हुए रकबा 01–06 बीघा भूमि अपीलांट के नाम से नामांतरकरण पारित किए जाने का आदेश करें।

अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा एक अपील नामांतरकरण संख्या 868 बिना दिनांक को ग्राम पंचायत भलीसर द्वारा पारित किया के विरुद्ध धारा 75 आर एल आर एक्ट के तहत पेश की गई उक्त अपील म्यूटेशन की जानकारी से अन्दर म्याद पेश की गई परंतु म्यूटेशन पारित होने की तिथि दर्ज नहीं होने के बावजूद पटवारी के भरने से म्याद से बाहर होने से विलम्ब के सम्मन हेतु धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। अपीलांट की कब्जा काश्त की भूमि में दिनांक 15.11.2022 को कुछ भू माफियाओं द्वारा दखलअंदाजी कर अपीलांट को बैदखल करने पर उतारू हुए तथा अपीलांट को धमकी दी की आपको बैची हुई भूमि को किसी ओर ने खरीद लिया है तब अपीलांट को अपना हक हकुक खतरे में लगने पर हल्का पटवारी से आराजी की नक्ल मांगी जिसमें नाम दुसरे का होने पर तब अपीलांट द्वज्ञरा उक्त विवादग्रस्त नामांतरकरण की नकलें मांगी जो दिनांक 15.11.2022 को नकलें प्राप्त हुई तब आलौच्य आदेश की जानकारी होने से जानकारी की तिथि से अन्दर म्याद अपील पेश की जा रही है। क्योंकि उक्त आलौच्य नामांतरकरण किस तारीख को स्वीकार हुआ उसका इन्द्राज नहीं होने से इस कपटपूर्वक विलेख पर म्याद लागू नहीं होती फिर भी विकल्प के रूप में धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र विलम्ब शमन हेतु पेश हैं इस प्रकार विधि विरुद्ध व शून्य आदेश को निरस्त करवाने हेतु विलम्ब क्षमा किया जाना न्यायोचित है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अपीलांट द्वारा पेश धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ कर अपील पत्र अन्दर म्याद सुमार की जावे।

अपीलांट की अपील दर्ज रजि. की गई। रेस्पोडेण्टान को जरिए रजि. डाक से तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट सं. 01 ता 03 बावजूद सम्यक् तामील के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किया गया।

हम हस्तगत प्रकरण का निर्णयन निम्नानुसार बिन्दूवार करना उचित समझते हैं:–

हम सर्वप्रथम प्रकरण को म्याद के विषय पर निर्णीत करना आवश्यक समझते हैं। हमने नामांतरण सं. 870 का अध्ययन किया। इससे स्पष्ट है कि उक्त म्यूटेशन 13.10.2022 को पारित किया गया है, अपीलांट द्वारा दिनांक 22.11.2022 को प्रस्तुत किया है चूंकि अपीलांट द्वारा धारा 05 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना–पत्र को पेश कर निवेदन किया अल्प विलम्ब काल को क्षमा किया जावे। लिहाजा हम विलम्ब काल को माफ करना कानूनन उचित समझते हैं क्योंकि विधि और विधिक प्रकिया का प्राथमिक उद्देश्य यह होता है कि निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए तथा

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:28 IST
Reason: SelfAttested

08/08/23
उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना(बाड़मेर)

प्रकियागत प्रावधान निर्णय में साधन के रूप में होते हैं न कि स्वयं साध्य के रूप में। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम बखूबी साबित होने से एवं विधिसंगत होने से स्वीकार किया जाना हम उचित एवं आवश्यक समझते हैं। मूल प्रकरण के संबंध में हम सर्वप्रथम बेचाननामा दिनांक 03.09.2019 पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं. 41 में पृष्ठ संख्या 144 कम संख्या 201903110101128 की सत्यापित प्रतिलिपि अध्ययन करना उचित समझते हैं, उक्त बैचाननामें के अनुसार सुजा मोहम्मद पुत्र फैज मोहम्मद द्वारा राजस्व मौजा भलीसर के खसरा संख्या 387 रकबा 19–14 बीघा में से अपना 1/15 वां हिस्सा अर्थात् 01–06 बीघा भूमि कमूड़ी पत्नी वईया खां को बैचान कर दी गई। प्रमाणित प्रतिलिपि ग्राम भलीसर सम्वत् 2072–75 के अध्ययन से स्पष्ट है कि फैज मोहम्मद की फौतगी उपरांत म्यूटेशन संख्या 774 दिनांक 20.03.2017 को उसके वारिशान के नाम पारित किया गया जिससे सुजा मोहम्मद का हिस्सा 1/5 खसरा संख्या 387 में बनता था। बैचाननामा दिनांक 02.09.2022 पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 69 पृष्ट संख्या 140 कम संख्या 202203110101326 की सत्यापित प्रतिलिपि से स्पष्ट है कि सुजा मोहम्मद द्वारा राजस्व ग्राम भलीसर के खसरा संख्या 387 रकबा 3.1889 में से 1/12 वां हिस्सा अर्थात् 0.2657 हैक्टेयर तथा राजस्व ग्राम मुसलमानों की ढाणी के खसरा संख्या 164 रकबा 4.2573 हैक्टेयर में से 1/28 वां हिस्सा अर्थात् 0.1520 हैक्टेयर भूमि वडलशाहद पुत्र हसनशाह को बैचान कर दी गई। हमने प्रमाणित प्रतिलिपि नामांतरण संख्या 864 का अध्ययन किया जिसमें सुमेलखातू पत्नी फैज मोहम्मद के 1/15 हिस्से को उपपंजीयक धोरीमना के आदेश पर ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया जाता है जिससे सुजा मोहम्द पुत्र फैज मोहम्मद का हिस्सा 1/15 से 1/12 हो जाता है। हमने ग्राम भलीसर के म्यूटेशन संख्या 870 का अध्ययन किया जो कि बैचाननामा दिनांक 02.09.2022 कमांक 202203110101326 की पालना में ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया, उक्त म्यूटेशन पश्चातवर्ती बैचाननामें के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया जबकि सुजा मोहम्मद द्वारा खसरा संख्या 387 रकबा 19–14 बीघा में से 1/15 वां हिस्सा अर्थात् 01–06 बीघा भूमि दिनांक 03.09.2019 को ही पंजीयन कमांक 201903110101128 द्वारा कमूड़ी पत्नी वईया खां को बैचान कर दी गई थी, लेकिन उक्त बैचाननामे पर आर.39 के तहत नोटः– "उक्त दस्तावेज श्रीमान एसडीओ धोरीमना में दर्ज प्रकरण संख्या 61/2019 के अध्ययीन रहेगा"। हमने म्यूटेशन संख्या 870 ग्राम पंचायत भलीसर का अध्ययन किया उक्त म्यूटेशन के अध्ययन से स्पष्ट है कि उक्त [illegible] ग्राम पंचायत के प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है न ही इस प्रकार की कोई [illegible] है केवलमात्र सरपंच के द्वारा स्वीकृत किए जाने का उल्लेख है, [illegible] करने के लिए ग्राम पंचायत सक्षम है न कि केवल सरपंच। अतः सरपंच ग्राम पंचायत भलीसर द्वारा स्वीकृत नामांतरण संख्या 870 सारभूत एवं प्रक्रियागत दृष्टि से त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरुद्ध होने से इसे अपास्त किया जाना कानूनन उचित है।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमना जिला-बाड़मेर

08/08/23

उपखण्ड अधिकारी धोरीमना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:28 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं निर्णयन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि ग्राम भलीसर के म्यूटेशन संख्या 870 विधि विरुद्ध है तथा प्रकियागत त्रृटिपूर्ण होने से अपास्त घोषित किया जाना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं तथा हस्तगत प्रकरण को तहसीलदार धोरीमना को प्रति प्रेषित करना उचित एवं विधि संगत समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट अंतर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 मय प्रार्थना पत्र धारा –05 परिसीमा अधिनियम–1963 आंशिक रूप से सारवान होने से आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपील में हुए विलंबकाल को माफ किया जाता है। म्यूटेशन संख्या 870 को प्रकियागत त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाता है। हस्तगत प्रकरण तहसीलदार धोरीमना को प्रति प्रेषित किया जाता है कि राजस्व मौजा–भलीसर, पटवार हल्का–भलीसर के खसरा संख्या–387 के संबंध में सुजा मोहम्मद द्वारा पंजीकृत बैचाननामों कमशः दिनांक 03.09.2019 पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं. 41 में पृष्ठ संख्या 144 कम संख्या 201903110101128 तथा दिनांक 02.09.2022 पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 69 पृष्ट संख्या 140 कम संख्या 202203110101326 का समग्र रूप से अध्ययन करते हुए तथा बैचाननामे कमांक 201903110101128 पर लगाए गए आर–39 के नोट की पालना करते हुए तथा अन्य किसी भी राजस्व/सिविल न्यायालयों में यदि कोई उक्त खसरा संख्या 387 से संबंधित कोई वाद/स्थगन विचाराधीन है तो उसका पालन करते हुए तथा खसरा संख्या 387 में वर्तमान में दर्ज सभी खातेदारों को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए विधिसंगत निर्णय पारित करें। तहसीलदार धोरीमना को इस आशय की तहरीर जारी हो पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखित दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमना ★ जिला-बाड़मेर ★

08/08/23
उपखण्ड अधिकारी धोरीमना (बाड़मेर)

(लाखाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर।

निर्णय आज दिनांक 08/08/23 को सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:28 IST
Reason: SelfAttested

08/08/23
उपखण्ड अधिकारी धोरीमना (बाड़मेर)

(लाखाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर।